भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1489

उत्तर देने की तारीख 13/02/2025

प्रधानमंत्री वन धन योजना के अतंर्गत ऋण लाभार्थी

1489. श्री एस. जगतरक्षकन**:**

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देशभर में प्रधानमंत्री वन धन योजना (पीएमवीडीवाई) के अतंर्गत ऋण मुहैया किए जाने वाले कुल लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में उपरोक्त योजना के अतंर्गत जनजातीय समूहों या स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को संवितरित की गई ऋण राशि राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कुल कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के लिए प्रदान किए गए/प्रदान किए जा रहे किसी विशेष प्रावधान/प्रोत्साहन/ऋण का ब्यौरा क्या है और सुलभता तथा सतत आजीविका सुनिश्चित करने के लिए ऋण संवितरण की संरचना किस प्रकार की जाती है;

(घ) क्या सरकार ने जनजातीय समुदायों की सतत आजीविका और उनके आर्थिक उत्थान को बढ़ाने में ऋण वितरण की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले राज्यों में जनजातीय समुदायों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए ऋण वितरण प्रणाली में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' की योजना को कार्यान्वित करता है। इस योजना के घटकों में से एक घटक राज्य सरकारों को वन धन विकास केन्द्रों (वीडीवीके), जो जनजातीय स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का एक समूह है, की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो मूल्य संवर्धन गतिविधियों के केन्द्र हैं परंतु उनके लाभार्थियों को ऋण का प्रावधान नहीं है।

तथापि, मंत्रालय की एक अन्य एजेंसी नामत: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है, जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों को रियायती ऋण प्रदान

करता है। वीडीवीके के लाभार्थी भी एनएसटीएफडीसी की संबंधित योजनाओं के अंतर्गत इन ऋणों का लाभ उठाने के पात्र हैं। एनएसटीएफडीसी की इनमें से कुछ योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है

i. सावधि ऋण योजना: एनएसटीएफडीसी प्रति इकाई ₹ 50.00 लाख तक की लागत वाली व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण प्रदान करता है। इस स्कीम के अंतर्गत, परियोजना लागत के 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और शेष की पूर्ति सब्सिडी/प्रवर्तक (प्रोमोटर) अंशदान/मार्जिन मनी के द्वारा की जाती है।
ii. आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई): यह अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक विशेष योजना है। इस योजना के अंतर्गत, एनएसटीएफडीसी 2.00 लाख रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 4% प्रति वर्ष की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर 90% तक ऋण उपलब्ध कराता है।
iii. स्वयं सहायता समूहों के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना (एमसीएफ): यह अजजा (एसटी) सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकता को पूरा करने हेतु स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष योजना है। इस योजना के अंतर्गत, निगम प्रति सदस्य 50,000/- रुपये तक और प्रति स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करता है।

(घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2018-19 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के माध्यम से एनएसटीएफडीसी का मूल्यांकन अध्ययन किया। सामाजिक-आर्थिक पहलू पर विचार करते हुए अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

सामाजिक-आर्थिक पहलू	**कुल प्रतिशत**
घरेलू आय में सुधार	82.63
जीवन स्तर में सुधार	42.74
बच्चों को स्कूल भेजना	23.84
स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाना	19.58
सामाजिक स्थिति में सुधार	33.13
कोई बदलाव नहीं	10.57
परिवार के सदस्यों का प्रवासन काफी कम	3.88

(ङ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में, एनएसटीएफडीसी में अनुमानित निधि उपलब्धता के अनुसार देश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निधियां सैद्धांतिक रूप से आबंटित की जाती हैं। इसके अलावा, लक्षित समूह के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए, निगम ने विभिन्न वैकल्पिक चैनलों के साथ भी करार किया है।

*****